परिपत्र संख्या–08 / 2016

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ–7(78)जन / 2015 / 18494 दिनांक : 18-11-16

–:: परिपत्र ::–

विषय : कूटरचित दस्तावेज एवं मिथ्या कथन के आधार पर दस्तावेज निष्पादित कर पंजीयन करवाने के प्रकरणों में कार्यवाही करने के संबंध में।

उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों में पंजीकरण अधिकारी के द्वारा पंजीयन अधिनियम 1908 के भाग–4 (धारा 23 से 27) व राजस्थान पंजीयन नियम 1955 (खण्ड–प्रथम) के नियम 94 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के समय, भाग–5, (धारा 28 से 31) व पंजीयन नियम 1955 (खण्ड–प्रथम) के नियम 92 के अनुसार पंजीकरण के स्थान (क्षेत्राधिकार) के विषय में, भाग–6 (धारा 32 से 35) के तहत दस्तावेज पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के संबंध में तथा राजस्थान पंजीयन नियम 1955 (खण्ड–प्रथम) के नियम 96 व 96–ए में वर्णित प्रावधानों के क्रम में मुद्रांक शुल्क के संबंध में आवश्यक जांच करने का प्रावधान है।

किसी भी व्यक्ति द्वारा दस्तावेज को निष्पादित करते समय सम्पत्ति के वास्तविक तथ्यों को छुपाकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर, छद्म प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण के आधार पर दस्तावेज का निष्पादन कर पंजीयन हेतु प्रस्तुत करता है तो ऐसा कृत्य पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 82 के तहत दण्डनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम की धारा 83 सपठित राजस्थान पंजीयन नियम 1955 (खण्ड–प्रथम) के नियम 179 व 180 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने का प्रावधान है।

प्रायः यह देखा गया है कि उप महानिरीक्षको एवं उप पंजीयकों के समक्ष ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है जिनमें दस्तावेजों का निष्पादन एवं पंजीयन वास्तविक तथ्यों को छुपाकर एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किये जाने का तथ्य निहित होता है। उप पंजीयक के समक्ष ऐसे तथ्य प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् भी उसके द्वारा इसकी गंभीरता से जांच नहीं की जाती है। जबकि पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 82 के तहत उप पंजीयक का यह दायित्व है कि वह उसके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों की जांच करते हुए, शिकायत में अंकित तथ्य सही पाये जाने पर पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 83 सपठित राजस्थान पंजीयन नियम 1955 (खण्ड प्रथम) नियम 179 व 180 के तहत संबंधित के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही अमल में लाया जाना आवश्यक है।

अतः उप पंजीयक द्वारा पंजीबद्ध किये गये दस्तावेजों के संबंध में इस प्रकार की शिकायत किसी भी स्तर प्राप्त होने पर कि दस्तावेज का पंजीयन वास्तविक तथ्यों को छुपाकर, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एवं छद्म प्रतिरूपण और दुष्प्रेरण के आधार पर किया गया है तो सम्बन्धित उप पंजीयक द्वारा राजस्थान पंजीयन नियम 1955 (खण्ड प्रथम) नियम 180 में दी गई प्रकिया के तहत प्रकरण के तथ्यों की गहनता से जॉच करते हुए विस्तृत रिपोर्ट साक्ष्य एवं सबूतों के साथ, यदि कोई हो, संबंधित जिला पंजीयक को अभियोजन की कार्यवाही के लिए अनुमति हेतु भिजवाई जाये। जिला पंजीयक के पास

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.)
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in

ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उनके द्वारा किसी और जॉच की आवश्यकता महसूस की जाये तो करवाई जाकर अथवा उसके बिना अभियोजन की स्वीकृति दिये जाने के औचित्य या अनौचित्य पर विचार करके संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति जारी करने अथवा नहीं करने का निर्णय जिला पंजीयक द्वारा पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा–83 के तहत लिया जावेगा। जिला पंजीयक से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर तदानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जाये।

18-11-2016

(नन्नूमल पहाडिया)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ–7(78)जन/2015/18495-19105 दिनांक : 18-11-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
9. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
10. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
11. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन, राजस्थान)।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

"कर भवन", द्वितीय तल, टोडरमल मार्ग, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2627590, 2425105 फैक्स 2431002, 2627750 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in
वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in